<u>दाण्डिक प्रकरण क्रमांक–2192/22</u>
<u>शासन वि० अंकित कांडे</u>

Witness No- **02** for **अभियोजन** Deposition taken on the **22.11.2023** day of **Wednesday** Witness's apparent age 19 year

States on affirmation **शपथपूर्वक** My name is **मुकुल साहू**

Son/Husband of **श्री तिलक साहू** Occupation **पढ़ाई**

Address **ग्राम बोड़रा धनेली, जिला बालोद (छ.ग.)**

समय 03.45 बजे से

<u>साक्षी को शपथ दिलाकर साक्ष्य प्रारंभ किया गया।</u>

<u>–: अभियोजन द्वारा मुख्य परीक्षण :–</u>

01. मैं न्यायालय उपस्थित आरोपीगण अंकित कांडे एवं प्रियांशु साहू को चेहरे से पहचानता हूं। मैं प्रार्थी ज्योतिप्रकाश साहू को जानता हूं जो मेरा दोस्त है। आज से लगभग आठ–नौ माह पूर्व आरोपीगण और मेरे मध्य मामूली वाद विवाद हो गया था। पुलिस ने मेरे समक्ष कोई कार्यवाही नहीं किया है, परंतु जप्ती पत्रक प्रपी–05, प्रपी–06 एवं प्रपी–07, मेमोरंडम कथन प्रपी–08 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस ने मुझसे कोई पूछताछ नही किया है और ना ही मेरा बयान दर्ज किया है।

टीपः– इसी स्तर पर अभियोजन साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा सूचक जैसे प्रश्न पूछने की अनुमति चाही गई, विचारोपरांत अनुमति प्रदान की गई।

02. यह कहना गलत है कि पुलिस बयान प्रपी–09 ''जिसने मुझे .... सत्य लिखा गया है'' के अ से अ भाग का कथन दिया था। यह कहना गलत है कि दीपांजली के द्वारा ज्योतिप्रकाश को 2000/– रूपये उधारी मांगी थी। यह कहना गलत है कि ज्योतिप्रकाश ने अपने पिताजी के एकाउंट से फोन–पे के माध्यम से दिनांक 01.11.2021 को

दीपांजली के कहने पर उसके किसी परिचित के मोबाईल नंबर 89591—73761 में 2000/— रूपये ट्रांसफर किया था। यह कहना गलत है कि उक्त उधारी के पैसे की मांग करने पर आरोपीगण के द्वारा रूद्री डेम के पास दिनांक 03.02.2022 को बुलाकर हम लोगो को मां—बहन की अश्लील गाली गलौच करते हुए जाने से मारने की धमकी दिया था।

03. यह कहना गलत है कि सिद्वार्थ यादव, अंकित कांडे, दीपांजली सिन्हा व अन्य कुल 8 लोगो के द्वारा एक राय होकर मुझे एक लकड़ी के डंडे से जांघ, पीठ, घुटने के पीछे मारपीट किये थे। यह कहना गलत है कि आरोपीगण के द्वारा रूद्री स्थित आकांक्षा डेली निड्स के पीछे बने कमरे में जबरदस्ती बल पूर्वक ले जाकर दरवाजा को बंद करके हमे रोका गया। यह कहना गलत है कि आरोपीगण के द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी दिया गया। यह कहना गलत है कि बेवजह दीपांजली के नाम से झुठे केस में फंसाने की धमकी दिया गया। यह कहना गलत है कि आरोपी अंकित कांडे के द्वारा अपने पास रखे एयर पिस्टल एवं धारदार चाकू को लहराते हुए व उनके साथियो के द्वारा धारदार ब्लेड दिखाकर हमे भयभीत किये है।

04. यह कहना गलत है कि प्रपी—05 में उल्लेखित एक त्रिशुलनुमा धारदार हथियार जिसकी कुल लंबाई 10 इंच, मुठ की लंबाई 4 इंच एवं मुठ की गोलाई 3 इंच एवं फल की लंबाई 6 इंच तथा फल की चौड़ाई 2.6 इंच, एक नग एयर पिस्टल जिसके बॉडी पर अंग्रेजी में Gio Bus.air.pistalswing. लिखा हुआ है जिसकी कुल लंबाई 9.5 इंच तथा ग्रिफ की गोलाई 5 इंच, ग्रिफ की चौड़ाई 4 इंच आरोपी अंकित कांडे से जप्त किया गया था। यह कहना गलत है कि प्रपी—06 में उल्लेखित एक नग बांस का डण्डा को आरोपी अंकित कांडे से जप्त किया गया था। यह कहना गलत है कि प्रपी—07 में उल्लेखित एक नग बांस का डण्डा जिसकी कुल लंबाई 65 सेमी, उपरी हिस्सा की गोलाई 9 सेमी, निचली गोलाई 10 सेमी को आरोपी प्रियांशु साहू से जप्त किया गया था। यह कहना गलत है कि मेरे समक्ष आरोपी अंकित कांडे का मेमोरंडम कथन लिया गया था।

05. यह कहना सही है कि आज आरोपीगण एवं मेरे मध्य न्यायालय के बाहर राजीनामा हो गया है परंतु यह कहना गलत है कि राजीनामा होने के कारण आज मैं आरोपीगण को बचाने के लिए न्यायालय में झूठा कथन कर रहा हूं।

<u>— : प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री नीरज तिवारी अधिवक्ता वास्ते आरोपीगण :—</u>

06. कुछ नहीं।

परीक्षण समाप्त 04.05 बजे तक

साक्षी को बयान पढ़कर सुनाया गया,
सही होना स्वीकार किया।

मेरे निर्देशन में टंकित।

सही / —
शिवेन्द्र कुमार टेकाम
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
धमतरी, (छ.ग.)

सही / —
शिवेन्द्र कुमार टेकाम
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
धमतरी, (छ.ग.)

साक्षी के हस्ताक्षर..................................